(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

नाथू वनाम देवा (गोरा)

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं० 43 सन 2022

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
-3.22	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को समन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29/3/22 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
29-3.22	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण 01 लगायत 5 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। अप्रार्थीगण 01 लगायत 05 को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही, उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

ासीन अधिकारी--डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.
ुदमा संख्या – 43/22 प्रा-पत्र

श्री नापू s/o मादू गाडरी निवासी – बावलास तहसील – माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्री देवा s/o उदा गाडरी निवासी – बावलास तहसील – माण्डल (कोया)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 29-03-22

::आदेश::

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ा कि ग्राम बावलास पटवार हल्का बावलास तहसील माण्डल में उसके े /संयुक्त खाते की आराजी न 2218 कुल किता 01 रकबा 0.0506 हेक्टेयर ~~बिस्वा~~ स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसनें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त ते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

ुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04-03-22 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी ाने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी े का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए र्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बावलास टवार हल्का बावलास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं 2218 कुल किता 01 रकबा 0.0506 हेक्टेयर ~~बिस्वा~~ भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का देश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक चांदरास को 500/- पये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा रावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये खते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की ावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार त्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा